तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/टी.ए./2054/2005/बीकानेर** **सरकार बनाम पाबूराम व अन्य ।**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** **उपस्थित–** श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा,उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी श्री एन. के. गोयल, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक :13.10.2022 **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/1997 में की गई कार्यवाही दिनांक 31–3–2005 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.2 मु0बज्जू ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 29–8–97 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–8–91 अनियमित एवं विधि विरूद्ध है। उक्त निर्णय एवं डिक्री से चक 13 पीएसडी के मु0नं.25/9 कि0नं.1 से 25, 25/17 कि0नं.1 से 25 25/25 कि0नं.1से 4, 6 से 25, चक 18 जीएमआर मु0नं. 20/5 कि0नं.5 से 8, 11से 25, 20/22 कि0नं.16 से 25 की कुल 103 बीघा भूमि को बतौर गैर खातेदार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की आज्ञा दी गई है, जबकि रेकार्ड में उक्त भूमि गैर मुमकिन दर्ज थी। अधिकार अभिलेख की प्रविष्टी को वास्तविक एवं वैधानिक कब्जे के आधार पर ही दुरूस्त करने का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 125 में है। स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे की ओर गौर किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अतः इन्हें माननीय राजस्व मण्डल में	WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/टी.ए./2054/2005/बीकानेर** **सरकार बनाम पाबूराम व अन्य ।**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	रेफरेन्स कर निरस्त करवाया जावे। कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-8-91 निरस्त करने हेतु रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं बनता। मुताबिक जवाब दावा रेकार्ड में भूमि बन्दोबस्त के समय से ही गैर मुमकिन दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अथवा उपनिवेशन अधिनियम 1954 में गैरखातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। दावे के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से एक भी दस्तावेजी साक्ष्य भूमि के स्वत्व संबंधी पेश नहीं हुआ फिर भी सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने अस्पष्ट मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने रेफरेन्स का जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिन्हें रेफरेन्स करने का विधिक अधिकार नहीं था। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रमजान खान बनाम सरकार डीबी स्पेशल अपील नम्बर 789/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2-3-2007 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उपायुक्त उपनिवेशन रेफरेन्स करने के लिए सक्षम/अधिकृत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्णय किया कि रेफरेन्स के अन्तर्गत जो निर्णय और डिक्री पारित की गई थी उसमें राज्य सरकार पक्षकार थी और उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती देनी चाहिए थी न की रेफरेन्स के माध्यम से। अतः रेफरेन्स निरस्त किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/टी.ए./2054/2005/बीकानेर** **सरकार बनाम पाबूराम व अन्य ।**	नम्बर व तारीख अहकाम जो

जावे।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 15–1–1992 के द्वारा कोलोनाइजेशन कमिश्नर को रेफरेन्स करने के पावर डेलिगेट किये गये हैं इसलिए उपायुक्त उपनिवेशन को रेफरेन्स करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल अपील नंबर 789/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2–3–2007 के अनुसार उपायुक्त उपनिवेशन को रेफरेन्स करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 13 के पेरा 3 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"So far as Rajasthan Tenancy Act is concerned, it does not empower the State Government to appoint any other person other than the Collector to discharge the functions of Collector under Section 232. Moreover, it also does not envisage exercise of power under Section 232 concurrently by two or more authorities is respect of same subject matter within the territorial jurisdiction of Collector."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में उपायुक्त उपनिवेशन रेफरेन्स करने हेतु सक्षम/अधिकृत नहीं थे। इसलिए उपायुक्त उपनिवेशन द्वारा जो रेफरेन्स किया गया है वह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है इसलिए यह रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य